



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13122025-268468
CG-DL-W-13122025-268468

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2025 (अग्रहायण 22, 1947)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2025 (AGRAHAYANA 22, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	765	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1235	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	5389	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	3505
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	6857
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	765	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1235	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	5389	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3505
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	6857
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु-560094, दिनांक 19 नवंबर 2025

संकल्प

सं. 8/3/1(6)/2025-हिं.—अंतरिक्ष विभाग के दिनांक 25.05.2021 के संकल्प सं. 8/3/1(6)/2019-हिं. द्वारा गठित अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार ने उक्त समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया है:—

1.	प्रधानमंत्री (अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री)	अध्यक्ष
2.	राज्य मंत्री (अंतरिक्ष), प्रधानमंत्री कार्यालय	उपाध्यक्ष
गैर-सरकारी सदस्य		
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
3.	डॉ. आलोक कुमार सुमन संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
4.	श्री आशीष दुवे संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
5.	श्री परिमल नथवानी संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
6.	श्री नीरज शेखर संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति से नामांकन		
7.	श्री भर्तृहरि महताव संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
8.	श्री सतपाल ब्रह्मचारी संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित हिन्दी विद्वान		
9.	प्रो. (डॉ.) टी. आर. भट्ट भूतपूर्व प्रोफेसर एवं हिन्दी विभागाध्यक्ष कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ 'प्रज्ञाश्री', छठा क्रॉस, कल्याण नगर, धारवाड़-580007, कर्नाटक	सदस्य
10.	प्रो. (डॉ.) ऋषभ देव शर्मा परामर्शी (हिन्दी) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गञ्जीबौली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना	सदस्य

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामित हिन्दी विद्वान		
11.	डॉ. दामोदर खड़से हिन्दी विद्वान बी-503-504, हाई ब्लिस, कैलाश जीवन के पास, नरहे रोड, धायरी पुणे-411041, महाराष्ट्र	सदस्य
12.	डॉ. ऋता शुक्ल हिन्दी विद्वान 'कहानी', टैगोर हिल रोड, मोराबादी, रांची-834008, झारखंड	सदस्य
हिन्दी सेवी संस्था द्वारा नामित		
13.	श्री अशोकानंद झा व्यवस्थापक, हिन्दी विद्यापीठ पो. हिन्दी पीठ जिला: देवघर-814115, झारखण्ड	सदस्य
14.	श्री बंशमणि प्रसाद पाण्डेय (केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्) ए-ब्लॉक, फ्लैट सं. ए4/2 सेक्टर 13, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110027	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित हिन्दी विद्वान		
15.	श्री सुधीर दत्तात्रेय हेब्बाळकर नं. 7-1101/34-ई, स्टेट बैंक कॉलोनी नेहरू गंज, कलबुर्गी-585104, कर्नाटक	सदस्य
16.	डॉ. भारमल गगदासभाई पटेल 18/कुबेरनगर, पालनपुर बनासकांठा, गुजरात	सदस्य
17.	डॉ. साधना बलवटे ई-2/346, अरेरा कॉलोनी भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य
सरकारी सदस्य		
गृह मंत्रालय		
18.	सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
परमाणु ऊर्जा विभाग		
20.	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई	सदस्य
21.	अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई	सदस्य
22.	निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर	सदस्य
23.	मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद	सदस्य
24.	निदेशक, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पाक्कम	सदस्य
अंतरिक्ष विभाग		
25.	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूरु	सदस्य
26.	वैज्ञानिक सचिव, इसरो मुख्यालय, बेंगलूरु	सदस्य

27.	निदेशक, समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, बेंगलूर	सदस्य
28.	संयुक्त/अपर सचिव, अंतरिक्ष विभाग, बेंगलूर	सदस्य सचिव

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य अंतरिक्ष विभाग एवं परमाणु ऊर्जा विभाग को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के प्रावधानों तथा इस संबंध में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में सलाह देना होगा।

समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष का होगा :-

- क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।
- ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।
- ग) किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त स्थान होने की स्थिति में उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेंगे।
- घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं.11/20034/4/86-रा.भा.(ए-II) में निहित दिशा-निर्देश के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसदीय राजभाषा समिति, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्रीमती एस. आर. राजशेखर
संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bengaluru-560094, the 19th November 2025

RESOLUTION

No. 8/3/1(6)/2025-HI.—Consequent upon completion of the tenure of Joint Hindi Salahakar Samiti for the Department of Space and Department of Atomic Energy constituted vide this Department's Resolution No. 8/3/1(6)/2019-HI., dated 25.05.2021, the Government of India have decided to reconstitute the said Samiti as under:—

1.	Prime Minister (Minister-in-Charge of Department of Space and Department of Atomic Energy)	Chairman
2.	Minister of State (Space), Prime Minister's Office	Vice Chairman
NON-OFFICIAL MEMBERS		
Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs		
3.	Dr. Alok Kumar Suman Member of Parliament, Lok Sabha	Member
4.	Shri Ashish Dubey Member of Parliament, Lok Sabha	Member
5.	Shri Parimal Nathwani Member of Parliament, Rajya Sabha	Member
6.	Shri Neeraj Shekhar Member of Parliament, Rajya Sabha	Member
Nominations from Committee of Parliament on Official Language		
7.	Shri Bhatrihari Mahtab Member of Parliament, Lok Sabha	Member
8.	Shri Satpal Brahmchari Member of Parliament, Lok Sabha	Member
Hindi Scholars nominated by Department of Space		
9.	Prof. (Dr.) T R Bhat Ex-Professor & Head of the Department of Hindi Karnataka University, Dharwad 'Prajnashree', 6th Cross Kalyan Nagar, Dharwad-580007, Karnataka	Member
10.	Prof. (Dr.) Rishabh Deo Sharma Consultant (Hindi), Directorate of Distance Education Maulana Azad National Urdu University Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana	Member
Hindi Scholars nominated by Department of Atomic Energy		
11.	Dr. Damodar Khadse Hindi Scholar B-503-504, High Bliss Near Kailash Jeevan, Narhe Road, Dhayari Pune-411041, Maharashtra	Member
12.	Dr. Rita Shukla Hindi Scholar 'Kahani', Tagore Hill Road Morabadi, Ranchi-834008, Jharkhand	Member
Nominated by Hindi Voluntary Organisations		
13.	Shri Ashokanand Jha Vyavasthapak, Hindi Vidyapeeth PO Hindi Peeth Dist. : Deoghar-814115, Jharkhand	Member

14.	Shri Banshmani Prasad Pandey (Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad) A-Block, Flat No. A4/2, Sector 13, R K Puram New Delhi-110027	Member
Hindi Scholars nominated by Department of Official Language		
15.	Shri Sudhir Dattatreya Hebbalkar No. 7-1101/34-E, State Bank Colony Nehruganj, Kalburgi-585104, Karnataka	Member
16.	Dr. Bharmal Gagdasbhai Patel 18/Kubernagar, Palanpur Banaskantha, Gujrat	Member
17.	Dr. Sadhana Balwate E-2/346, Arera Colony Bhopal, Madhya Pradesh	Member
OFFICIAL MEMBERS		
Ministry of Home Affairs		
18.	Secretary, Department of Official Language, New Delhi	Member
19.	Joint Secretary, Department of Official Language, New Delhi	Member
Department of Atomic Energy		
20.	Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai	Member
21.	Chairman, Official Language Implementation Committee, Department of Atomic Energy, Mumbai	Member
22.	Director, Raja Ramanna, Centre for Advanced Technology, Indore	Member
23.	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, Hyderabad	Member
24.	Director, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam	Member
Department of Space		
25.	Secretary, Department of Space, Bengaluru	Member
26.	Scientific Secretary, ISRO Headquarters, Bengaluru	Member
27.	Director, Human Space Flight Centre, Bengaluru	Member
28.	Joint/Additional Secretary, Department of Space, Bengaluru	Member Secretary

FUNCTIONS OF THE SAMITI

The functions of the Samiti will be to render advice to Department of Space and Department of Atomic Energy with regard to the progressive use of Hindi in official work and implementation of the laid down provisions of the Official Language Policy and instructions issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

TENURE OF THE SAMITI

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its formation provided that:

- A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
- Ex-officio members of the Samiti shall continue as Members so long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.
- If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation of the Member, the Member appointed in that capacity shall hold office for the residual term.
- Under special circumstances, the tenure of the Samiti can be curtailed or extended.

T.A. AND OTHER ALLOWANCES

The non-official members will be entitled for T.A./D.A. for attending meetings of the Samiti in accordance with the guidelines contained in DOL's O.M. No.11/20034/4/86-OL(A-II) dated 22.01.1987 and as per the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Committee of Parliament on Official Language, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Ayog, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission, Union Public Service Commission and all the Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general public information.

Smt. S R RAJASHEKAR
Joint Secretary